संख्या- 58 /2021/1760ई-2/तेरह-2021-1415390

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 लखनऊ दिनांक::20सितम्बर,2021

विषय- मेसर्स पी.टी.आई. डिस्टिलरीज एण्ड बेवरेजेज प्रा. लि., खसरा नं.-19, 22 व 24, एन.एच.-2, बैक्मेट लि. के सामने, तहसील छाता, जिला-मथुरा द्वारा 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की अनाज पर आधारित मिश्रित (पेय/औद्योगिक) आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-19/दो-प्रा.डी.-221/पीटीआई, दिनांक 26-07-2021, पत्र संख्या-जी-40/दो-प्रा.डी.-221/पीटीआई, दिनांक 03-09-2021 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक11-08-2021 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1532ई-2/तेरह-2021-1415390, दिनांक13-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-07-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स पी.टी.आई. डिस्टिलरीज एण्ड बेवरेजेज प्रा. लि., खसरा नं.-19, 22 व 24, एन.एच.-2, बैक्मेट लि. के सामने, तहसील छाता, जिला-मथुरा द्वारा 150 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 525 लाख लीटरअधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित आसवनी जिसमें 75 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 262.50 लाख लीटर वार्षिक अनाज से ई.एन.ए., 250 लाख लीटर वार्षिक पेय मदिरा एवं 75 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 262.50 लाख लीटर वार्षिक अनाज से अब्सोल्यूट अल्कोहल, एस.डी.एस. का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के आधार पर प्रश्नगत आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेअनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों केअन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रश्नगत इकाई द्वारा उत्पादन के परिपेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने, व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थपित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिपेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।